

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश :: प्रशासनिक कार्यो के संग्रह अधिनियम-2021/25

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पटवार हल्का तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2013-14-2026 में खाता संख्या 157 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	करेड़ा	157	बुना सिट 50 मोटा सिट खत	बुना सिट 50 मोटा सिट 1/ ल 8 डिग्री 46 मोटा सिट 1/ दर्ज कर रूक बंद कर

प्रभारी अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 36

दिनांक:- 18/11/21

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

प्रभारी अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

